संख्याः- 70 /2022/3443/76-1099-361/2022

प्रेषक,

डा0 अम्बरीष कुमार सिंह,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रबन्ध निदेशक,
उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण),
लखनऊ।

नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति अनुभाग-1 लखनऊः दिनॉक 28 अक्टूबर, 2022

विषयः- उत्तर प्रदेश जल निगम अभियन्ता (सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा) सेवा नियमावली-1978 के विनियम-31 का संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-924/प्र-1/007/नि0म0बैठक-004/2022/45, दिनांक 29-09-2022 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम अभियन्ता (सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा) सेवा नियमावली, 1978 के विनियम-31 में संशोधन के प्रस्ताव पर स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि उत्तर प्रदेश जल निगम अभियन्ता (सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा) सेवा नियमावली, 1978 को शासन के पत्र संख्या-876/76-1-2022-08 सम/2022 दिनांक 06 मई, 2022 द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) के अन्तर्गत यथावत् लागू/अंगीकृत किया जा चुका है तथा उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) हेतु नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या-690/9-3-2022-49सी/19टी0सी0-III, दिनांक 04 जुलाई, 2022 द्वारा उत्तर प्रदेश जल निगम अभियन्ता (सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा) सेवा नियमावली, 1978 के विनियम-31 के वर्तमान में लागू प्राविधानों में संशोधन किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

3- अतः इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त उत्तर प्रदेश जल निगम अभियन्ता (सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा) सेवा नियमावली, 1978 के विनियम-31 में वर्तमान में लागू प्राविधानों को संशोधित किये जाने की निम्नवत् स्वीकृति प्रदान की जाती हैः-

उत्तर प्रदेश जल निगम अभियन्ता (सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा) सेवा नियमावली, 1978 के विनियम-31 में वर्तमान प्राविधान	उत्तर प्रदेश जल निगम अभियन्ता (सार्वजनिक स्वास्थ्य शाखा) सेवा नियमावली, 1978 के विनियम-31 में प्रख्यापित संशोधन
1	2
इस विनियमावली में जैसा उपबन्धित है, उसके सिवाय सेवा के सदस्यों का वेतन, भत्ता, छुटटी, शास्ति का आरोपण और सेवा की अन्य शर्तें उन नियमों, विनयमों तथा आदेशों द्वारा विनियमित होगी, जो राज्य के कार्यकलाप के संबंध में सेवारत सरकारी सेवाओं पर सामान्यतया लागू होते हैं।	इस विनियमावली में जैसा उपबन्धित है उसके सिवाय सेवा के सदस्यों का वेतन, भत्ता, पेंशन, छुट्टी, शास्ति का आरोपण और सेवा की अन्य शर्तें उन नियमों, विनियमों तथा आदेशों द्वारा विनियमित होगी, जो शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा समय-समय पर प्रसारित किये जाएंगे। यह व्यवस्था तत्कालीन स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग से जल निगम में अन्तरित /संविलीन हुए सेवा के सदस्यों, जिनकी नियुक्ति तत्कालीन स्वायत्त शासन अभियन्त्रण विभाग में हुई थी पर भी, उ०प्र० जल सम्भरण तथा सीवर व्यवस्था अधिनियम-1975 की धारा 37(1) के दृष्टिगत लागू होगी।

3- उक्त संशोधन उत्तर प्रदेश जल निगम (ग्रामीण) पर लागू होगा।

4- अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही कराने एवं कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

Signed by डॉ0अम्बरीष कुमार सिंह
Date: 18-8-2022 16:04:54
Reason: Approved
(डा0 अम्बरीष कुमार सिंह)
उप सचिव।